सहायक सुरक्षा अधिकारी की पदोन्नति और तैनाती

3064. श्री बाला साहिब पवार क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल के उन सहायक सुरक्षा अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1974 में उत्तरी रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में नियुक्त किया गया था और वे अभी भी इलाहाबाद डिवीजन में तैनात हैं और उन्हें इलाहाबाद डिवीजन में ही रखने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि टुंडला, हरदुआगंज और शिकोहाबाद के क्षेत्र भी जहां बहुत अधिक चोरियां हुई हैं, उन्हीं अधिकारियों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते है जो उसी डिवीजन में 1974 से कार्यरत हैं; दूसरी रेलवे या आर पी एस.एफ. में इन अधिकारियों को स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे सुरक्षा बल का केवल एक सहायक सुरक्षा अधिकारी है, जिसे 1974 में तैनात किया गया था तथा अभी तक उसी मण्डल में तैनात है । इस अवधि के दौरान, वह इलाहाबाद मण्डल के तीन विभिन्न स्थानों पर तैनात रहा । किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट मण्डल में कितने ही समय तक तैनात किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(ख) इन स्थानों पर कुछ गम्भीर चोरी के मामले हुए हैं । वर्ष 1978 में हरदुआगंज में चीनी के बोरों की चोरी हो जाने के समय यह अधिकारी कानपुर में तैनात था, जिनके अधिकार क्षेत्र में हरदुआगंज (जिला अलीगढ़) था । अगस्त, 1981 में टुंडला में तथा जुलाई 1982 में शिकोहाबाद में चुराई गई सामग्री बरामद करते समय यह अधिकारी टुंडला में तैनात था । दोनों ही स्थान उनके अधिकार क्षेत्र में थे । इन मामलों के अलावा, किसी अन्य गम्भीर और बड़ी मात्रा में चोरी के मामलों की रिपोर्ट नहीं मिली है । इनमें से किसी भी मामले में इस अधिकारी की सांठ-गांठ या उसकी ओर से ड्यूटी में चूक नजर नहीं आयी है यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

बीकानेर डिवीजन में वाणिज्यिक निरीक्षक

3065. श्री बाला साहिब पवार : क्या रेल मंत्री बीकानेर डिवीजन में वाणिज्यिक निरीक्षकों के बारे में 25 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5294 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पांच वाणिज्यिक निरीक्षक 455–700 रुपये के ग्रेड में अभी भी तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया है ;

(ख) क्या 455–700 के वेतनमान में सी०एम०आई० के पद पहले मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किये जाते थे परन्तु अब इनका नियंत्रण प्रभागीय नियंत्रण द्वारा किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार हरिजनों के लिये आरक्षित पदों को शीघ्र भरने का है, और यदि नहीं, तो इसके विशेष कारण क्या हैं ?